न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या 83/2025

गिर्राज प्रसाद योगी पुत्र श्री जंसी राम योगी निवासी ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम तहसील बैजूपाडा जिला दौसा राज0

बनाम

राजस्थान सरकार

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,जयपुर के प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 11745/2025 गिर्राज प्रसाद योगी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 12.8.2025 की अनुपालना मे।

आदेश

दिनांक 12.3.2026

1. संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,जयपुर के प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 11745/2025 गिर्राज प्रसाद योगी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 12.8.2025 मे याचिकाकर्ता गिर्राज प्रसाद योगी पुत्र श्री जंसी राम योगी निवासी ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम तहसील बैजूपाडा जिला दौसा का अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर स्पीकिंग आदेश जारी करने हेतु लिखा गया है। याचिकाकर्ता को दिनांक 26.8.2025 से 27.8.2025 के मध्य उपस्थिरत होने के निर्देश प्रदान किये गये। याचिकाकर्ता द्वारा उक्त दिनांक को उपस्थित नहीं होकर दिनांक 8.9.2025 को उपस्थित होकर अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिस पर जिला रसद अधिकारी दौसा से जवाब मंगवाया गया।
2. याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन में अंकित किया है कि:–
   - प्रार्थी को जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम, तहसील बैजूपाड़ा (पूर्व तहसील बसवा) जिला दौसा की 1/2 भाग की उचित मूल्य दुकान हेतु प्राधिकार पत्र जारी किया जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 280/97 है
   - राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी गाईडलाईन दिनांक 17.03.2016 की पालना में जिला कलक्टर (दौसा द्वारा दिनांक 11–07–2025 को जिला दौसा की विभिन्न तहत में रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकान की नियुक्ति बाबत विज्ञप्ति जारी की गई जिसके तहत ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम (पोस संख्या 25754), तहसील बैजूपाड़ा (पूर्व तहसील बसवा), जिला दौसा को रिक्त माना जाकर नवीन उचित मूल्य दुकान हेतु विज्ञप्ति जारी की जाकर आवेदन आमंत्रित किये गये।
   - माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा नीरज शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में (सिविल रिट याचिका नं 9157/2016) पारित आदेश दिनांक 06.02.2017 में नवीन उचित मूल्य दुकान आवंटन बाबत् निम्न आदेश पारित किया–**In view of direct Division Bench judgment, this Court is not inclined to interfere in these writ petitions. However all the writ petitions are disposec with the observation that if the State Government in future decices to invite fresh applications for section**

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:39:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

of fair price shop dealers, it shall keep in view the Justice Wadhwa Committee s recommendations, which apparently was reasonable income to the fair price shop dealers so that they do not indulge in malpractices and consider having minimum 500 ration cards. यहां यह उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट अवधारित किया है कि भविष्य में नवीन दुकान/रिक्त दुकान आवंटन बाबत् विज्ञप्ति जारी करने से पूर्व जस्टिस वाधवा कमेटी की सिफारिश एवं विभागीय परिपत्र दिनांक 07–04–2010 को ध्यान में रखकर नवीन दुकान बाबत आवेदन मांगे जाने चाहिये एवं यदि किसी दुकान पर 500 राशन कार्ड से कम हो तो उसकी समायोजन से पूर्ति कर निर्धारित 500 राशन कार्डों की संख्या अथवा 2000 यूनिट के आधार पर प्रत्येक दुकान का पुनर्निधारण किया जाकर रिक्तियों का निर्धारण किया जावे।

- जिला रसद अधिकारी, दौसा द्वारा ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम के 1/2 भाग, तहसील बैजूपाड़ा, (पूर्व तहसील बसवा), जिला दौसा में बद्रीप्रसाद गुप्ता को उचित मूल्य दुकान हेतु अधिकृत किया गया एव विभाग द्वारा रसद सामग्री वितरण हेतु पोस मशीन संख्या 25754 आवंटित की गई। यहां यह उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम, तहसील बैजूपाड़ा, (पूर्व तहसील बसवा), जिला दौसा (राज.) के उचित मूल्य दुकानदार बद्रीप्रसाद गुप्ता द्वारा इस्तीफा दिये जाने के कारण जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा बद्रीप्रसाद गुप्ता की उचित मूल्य दुकान (पोस मशीन संख्या 25754) को प्रार्थी की दुकान अस्थायी रूप से अटैच कर दिया गया एवं वर्तमान में प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम के उपभोक्ताओं को नियमित रूप से रसद सामग्री का वितरण किया जा रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में **NFSA** योजना के अनुसार ग्राम पंचायत ढिगारिया भीन तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा में कुल 840 राशनकार्ड है जिसमें प्रार्थी को 493 पात्र राशनकार्ड आवंटित है एवं रिक्त अटैच भाग (पोस मशीन संख्या 25754) पेटे मात्र 75 राशनकार्ड आवंटित है। जबकि विभागीय परिपत्र दिनांक 07.04.2010 के अनुसार प्रत्येक दुकान में कम से कम 500 राशनकार्ड अटैच होने चाहिए एवं जस्टिस वाधवा कमेटी की सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक दुकान में कम से कम 1000 राशनकार्ड अटैच होने चाहिये। जबकि ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम में NFSA योजना के अनुसार कुल मिलाकर 840 राशनकार्ड है जिसमें प्रार्थी के अलावा अन्य डीलर रामरूप मीना (पोस मशीन संख्या 20552) कार्यरत है। बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा विभागीय परिपत्र दिनांक 07–04–2010 को नजरअंदाज कर ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा (पोस मशीन संख्या 25754) के पेटे रिक्त दुकान बाबत् विज्ञप्ति जारी की जाकर नई नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है जो कि उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 07.04.2010 एवं जस्टिस वाधवा कमेटी की सिफारिशों के विपरीत है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि विभाग[illegible]0 में रिक्त उचित मूल्य दुकान के आवंटन की कार्यवाही के संबंध में नि[illegible]या पारित किये है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि "यदि किसी दुकान पर [illegible] राशनकार्ड से कम हो तो उसकी समायोजन से पूर्ति कर निर्धारित 500 [illegible] की संख्या अथवा 2000 यूनिट के आधार पर प्रत्येक दुकान का पुनर्निर्धारण [illegible]या जाकर रिक्तियों का निर्धारण किया जावे ।" यहां यह उल्लेखनीय है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा रिक्तियों का निर्धारण किये बिना ही एवं प्रार्थी को 500 राशनकार्डों की पूर्ति किये बिना ही ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम, तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा के रिक्त भाग (पोस मशीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:39:59 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

संख्या 25754) के पेटे विज्ञप्ति जारी की गयी जो कि उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 07.04.2010 एवं जस्टिस वाधवा कमेटी की सिफारिशों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। .

- विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की ग्राम पंचायत बाबत् विज्ञप्ति जारी करने से पूर्व ना तो ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम से कोई सूचना प्राप्त की गई एवं ना ही कोई फीडबैक लिया गया एवं ना ही प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर दौसा द्वारा उचित मूल्य दुकान बाबत् रिक्तियों का निर्धारण किये बिना ही उक्त विज्ञप्ति जारी की गई जबकि वर्तमान में ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम में **NFSA** योजना के अनुसार कुल 840 राशनकार्ड है जिसमें प्रार्थी को केवल मात्र 493 राशनकार्ड आवंटित है एवं पोस मशीन संख्या 25754 पेटे मात्र 75 राशनकार्ड आवंटित है एवं विभागीय परिपत्र दिनांक 07–04–2010 के अनुसार निर्धारित 500 राशनकार्डो की संख्या अथवा 2000 यूनिट के आधार पर प्रत्येक दुकान का पुनर्निधारण किया जाकर रिक्तियों का निर्धारण किये जाने बाबत् निर्देश पारित किये गये बावजूद इसके विपक्षीगण द्वारा विभागीय परिपत्र दिनांक 07.04.2010 को नजरअंदाज कर ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम (पोस संख्या 25754), तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा को रिक्त भाग माना जाकर विज्ञप्ति जारी की गई जो कि उक्त विज्ञप्ति विभागीय परिपत्र दिनांक 07.04.2010 के विपरीत होने के साथ–साथ राजस्थान खाद्यान्न एवम् अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियम आदेश, 1976 के प्रावधानों के विपरीत एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के भी विपरीत है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर (रसद) दौसा द्वारा पूर्व में भी दिनांक 11–07–2023 को ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम तहसील बैजूपाडा जिला दौसा की रिक्त पोस मशीन पेटे विज्ञप्ति जारी की गई जिसको याची द्वारा जरिये रिट याचिका संख्या 11920/2023 गिर्राज प्रसाद योगी बनाम राजस्थान राज्य माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई जो सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय में लम्बित है। बावजूद इसके जिला कलक्टर (रसद) दौसा द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर पुनः दिनांक 11–07–2025 को विज्ञप्ति जारी की जाकर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। अतः विवादित विज्ञप्ति दिनांक 11–07–2025 निरस्त किये जाने योग्य है।
- जिला कलक्टर (रसद) दौसा द्वारा जारी विवादित विज्ञप्ति दिनांक 11.07.2025 को प्रार्थी द्वारा जरिये रिट याचिका संख्या 11745/2025 माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाकर अपने आदेश दिनांक 12.08.2025 द्वारा उक्त रिट याचिका को निस्तारित किया जाकर प्रार्थी को निर्देशित किया गया है कि वह जिला कलक्टर दौसा के समक्ष दिनांक 26दृ27 अगस्त 2025 को उपस्थित होकर विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जावे एवं जिला कलक्टर दौसा को निर्देशित किया गया कि प्रार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने पर प्रस्तुत अभ्यावेदन को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर स्पीकिंग आदेश के साथ निस्तारित किया जावे एवं तब तक जिला कलक्टर (रसद) दौसा द्वारा जारी विवादित विज्ञप्ति को प्रार्थी की सीमा तक स्थगित किये जाने बाबत् निर्देश पारित किये गये। प्रार्थी की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर किया जाकर रिक्त उचित मूल्य दुकान को प्रार्थी की पोस मशीन में मर्ज किये जाने बाबत् आदेश फरमाये जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:39:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

3- जिला रसद अधिकारी दौसा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार श्रीमान उपायुक्त एवं उप शासन सचिव, खाद्य विभाग के पत्रांक एफ 17(1)खा.वि.न्याय/2025/लूज दिनांक 23.4.2025 की अनुपालना में ही ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम में विज्ञप्ति जारी की गई है। ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम में राशन डीलर हेतु 3 उचित मूल्य दुकानदार (1) गिर्राज प्रसाद योगी 484 राशन कार्ड/2327 यूनिट (2) बद्री प्रसाद गुप्ता 74 राशन कार्ड/241 यूनिट (३) रामरूप मीना 273 राशन कार्ड/1123 यूनिट अधिकृत थे जिनमें से बद्री प्रसाद गुप्ता उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने के कारण वर्तमान में रिक्त है। विभागीय परिपत्र दिनांक 7.4.2010 के अनुसार उचित मूल्य दुकानों के नये सर्वे के अनुसार 500 राशन कार्ड पर नवीन दुकानों का सृजन कर रिक्त दुकानों की विज्ञप्ति जारी करने का प्रावधान है। चूंकि उक्त विज्ञप्ति नवीन दुकान हेतु नहीं निकाली गई है, अपितु किसी डीलर के निरस्त होने के कारण रिक्त होने की स्थिति में रिक्तता को भरने हेतु दुकान निकाली गई है। उक्त विज्ञप्ति नवसृजित नहीं है। नवसृजित दुकानों हेतु ही खाद्य सुरक्षा के 500 राश कार्ड और 2000 यूनिट का प्रावधान है। बद्री प्रसाद गुप्ता उचित मूल्य दुकानदार के प्राधिकार पत्र निरस्त होने के कारण रिक्त दुकानों पर ही विज्ञप्ति जारी की गई है, नवसृजित नहीं हुई है। अतः विभाग से प्राप्त सूची के अनुसार ही ढिगारिया भीम में ही दुकान खोलने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है।

4- हमने उक्त लीगल नोटिस एवं जिला रसद अधिकारी दौसा के जवाब का अवलोकन किया गया।

5. वाधवा कमेटी पीडीएस में सुधार एवं उसे पारदर्शी बनाये जाने के लिए बनाई गई थी जिसमें पीडीएस में लीकेज रोकने, गरीबों तक खाधान्न पहुँचाना एवं प्रौधोगिकी इस्तेमाल आदि की सिफारिशें की गईथी। कमेटी द्वारा सन 2007 में माननीय उच्चतम न्यायालय में अपनी रिपोर्ट पेश की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर विभाग द्वारा महत्वपूर्ण परिपत्र जैसेकि दिनांक 7.4.2010, दिनांक 26.12.2019, दिनांक 27.3.2023 इत्यादि जारी किये गये जो कि इस प्रकरण से भी संबंधित है। उक्त कई परिपत्रों का हवाला लीगल नोटिस में भी किया गया है।

6. हम जिला रसद अधिकारी दौसा के इस कथन से सहमत है कि नवीन दुकान की विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है अपितु पूर्व में ही चल रही दुकान जिसको निरस्त किया गया था की विज्ञप्ति जारी की गई थी। खाध विभाग के आदेश दिनांक 27.3.2023 के अनुसार 100 या 100 से कम राशन कार्ड वाली रिक्त दुकानों को पास की दुकानों में मर्जर करने बाबत निर्देशित किया गया है। विभागीय परिपत्र दिनांक 7.4.2010 के अनुसार उचित मूल्य दुकानों के नये सर्वे के अनुसार 500 राशन कार्ड पर नवीन दुकानों का सृजन कर रिक्त दुकानों की विज्ञप्ति जारी करने का प्रावधान है। चूंकि उक्त विज्ञप्ति नवीन दुकान हेतु नहीं निकाली गई है अपितु किसी डीलर के निरस्त होने के कारण रिक्त होने की स्थिति में रिक्तता को भरने हेतु दुकान निकाली गई है उक्त विज्ञप्ति नवसृजित नहीं, रिक्त रिक्त स्थान को भरने के लिए है। अतः इस प्रकरण को नवसृजित की विज्ञप्ति के रूप में न देखा जाकर मर्जर/समावेशन की कार्यवाही के रूप में देखा जाना चाहिए क्योकि जो दुकान बद्री प्रसाद गुप्ता उचित मूल्य दुकानदार के प्राधिकार पत्र निरस्त होने के कारण रिक्त हुई है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता एवं क्या उसे मर्ज कर दिया जाये तो [illegible] में खाध एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के परिपत्र दिनांक 27.3.2023 के तहत कार्यवाही [illegible] नवसृजित दुकानों हेतु ही खाध सुरक्षा के 500 राशन कार्ड एवं 2000 यूनिट का प्रावधान है। बद्री प्रसाद गुप्ता, उचित मूल्य दुकानदार के निरस्त होने के कारण रिक्त दुकानों [illegible] ही विज्ञप्ति जारी की गई है नवसृजित नहीं हुई है। ऐसे में इसे नवीन दुकान की विज्ञप्ति की श्रेणी में कहा जाना उचित नहीं है। जिला रसद अधिकारी दौसा की रिपोर्ट दिनांक 3.10.2025 अनुसार ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:39:59 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

में कुल 831 राशनकार्ड / 3691 यूनिट है एवं यदि उक्त राशन कार्ड एवं यूनिट का विभाजन 3 उचित मूल्य दुकानदारों में किया जाता है तो यह संख्या 100 राशन कार्ड से अधिक होगी।

7- अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र / लीगल नोटिस में उठाई गई आपत्तियों को खारिज किया जाता है। साथ ही जिला रसद अधिकारी दौसा को निर्देश दिये जाते है कि वह तृतीय दुकान के आवंटन पश्चात यह सुनिश्चित करे कि उक्त दुकान में कम से कम 100 राशन कार्ड अवश्य हो एवं उक्त ग्राम पंचायत की अन्य किसी भी दुकान में राशन कार्ड की संख्या 100 से कम न रह जाये। पत्रावली फैसल सुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी दौसा को प्रेषित की जावे।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर दौसा

आदेश आज दिनांक 12 मार्च, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्राकित से जारी कियागया।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:39:59 IST
Reason: SelfAttested